

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

फा. क्र. 17 (ई)11-इक्कीस-ब (दो)13.—राज्य शासन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 20 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, श्रीमती जमुना भिंडे, राप्रसे, संयुक्त कलेक्टर, मन्दसौर को दिनांक 18 जनवरी 2013 तक के लिये अति. जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.